

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>डी.आर. मेघवाल बनाम लो.सू.अ. (उप तहसीलदार झंवर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 162/2020</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20.10.20</p>	<p>अपीलार्थी डी.आर. मेघवाल पुत्र प्रेमराम, पता सरेचां बस स्टेण्ड के पास, वाया घुंघाड़ा, तहसीलद लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.07.2020 में उसके द्वारा (1) ग्राम झंवर के खसरा नम्बर 86 की जमाबंदी, गिरदावरी की प्रति, नामान्तरकरण सं. 2246 की सत्यप्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो.पक्ष (उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपरिथत।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो.पक्ष (उप तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उप तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	